उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी–~~सी~~-06/एनबीसीएफडीसी/2024–25 दिनांक– 24/04/2024

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–**76**/ऋण/एनबीसीएफडीसी/2013–14 दिनांक–04.03.2014,परिपत्र संख्या सी–**40**/तक0 प्रकोष्ठ/2014–15 दिनांक–07.08.2014, परिपत्र संख्या सी–**14**/ऋण सेल/एनबीसीएफडीसी/ 2020–21 दिनांक–24.06.2020 एवं पत्रांक–63157/ऋण/एनबीसीएफडीसी/22–23 दिनांक 09.06.23 **द्वारा** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) नई दिल्ली की योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के कृषक लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शाखाओं द्वारा बैंक पोर्टल के माध्यम से धन माँग कर ऋण वितरण करने के निर्देश निर्गत किये गये है।

एनबीसीएफडीसी द्वारा अपने पत्रांक–NBCFDC/NOT.ALLOC./CP/2024-25/2120 दिनांक 08.02.2024 के साथ संलग्न लिस्ट में एनबीसीएफडीसी की योजनाओं का नाम, ब्याज दर, ऋण धनराशि तथा समयावधि में परिवर्तन किया गया है। अतः परिपत्र संख्या सी–14/ऋण सेल/एनबीसीएफडीसी/2020–21 दिनांक–24.06.20 में आंशिक संशोधन करते हुए इसकी योजनाओं, ब्याज दर, ऋण धनराशि तथा समयावधि में दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्यवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के क्षेत्र	योजनाएं	ऋण सीमा	ब्याज दर	ऋण अवधि	पात्र लाभार्थी
1	**व्यक्तिगत ऋण योजना**	(अ)आय अर्जक योजनाएं/उद्देश्य	ऐसी योजनाएं/उद्देश्य जिसमें ऋण प्राप्त करने से आय अर्जित होना प्रारम्भ हो **जैसे**–डेयरी, दुग्ध प्रसंस्करण, फुटवियर उद्योग, प्रिन्टिंग प्रेस, फर्नीचर की दुकान, मोबाईल एवं मोबाईल रिचार्ज की दुकान, फलो की दुकान, राईसमिल, जूस सेन्टर, जलपान गृह, ई–रिक्शा, रेडीमेड गारमेन्ट्स, कास्मेटिक की दुकान आदि।	रू0 1.25 लाख तक	7 %	4 वर्ष	पुरूष/महिला
				रू0 1.25 लाख से अधिक तथा अधिकतम रू0 5.00 लाख	8 %	5 वर्ष	पुरूष/महिला
		(ब) शिक्षा ऋण (भारत में)	मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु।	15.00 लाख तक	8 %	10 वर्ष	पुरूष/महिला

अतः एनबीसीएफडीसी की योजनान्तर्गत ऋण वितरण एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं के दृष्टिगत योजनाओं/उद्देश्यों मे नियमानुसार ऋण वितरण करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही ऐसी योजनाओं में ही ऋण वितरण किया जाय जिससे वितरित ऋण केसों में मासिक/त्रैमासिक किश्तें निर्धारित करते हुए किश्त/किश्तो की वसूली शत–प्रतिशत सुनिश्चित हो। एनबीसीएफडीसी योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना के अनुरूप तथा प्रोजेक्ट लागत के अनुसार ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय

के पत्रांक–63157 दिनांक 09.06.23 के द्वारा निर्धारित अधिकतम ऋण सीमा को अवक्रमित करते हुए किसी एक उद्देश्य में तालिका के अनुसार अधिकतम रू0 5.00 लाख का ऋण वितरण किया जा सकता है।

एनबीसीएफडीसी योजनान्तर्गत पोर्टल पर धन मांग/अनुमोदन करते समय शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धकों का यह दायित्व होगा कि सम्बन्धित शाखा के इस योजनान्तर्गत मार्च 2021 से वितरित किये गये ऋणों के 90 प्रतिशत या अधिक खाते नियमित चल रहे हो, इसमे किसी प्रकार का विचलन पाये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी, पूर्व में समय–समय पर जारी परिपत्रों के शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

संलग्नक– ऋण वितरण हेतु चेक लिस्ट/दिशा–निर्देश।
(संलग्नक–1)

(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्धक(आई0टी0सेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि बैंक की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, को इस निर्देश के साथ कि मण्डल की शाखाओं में एनबीसीएफडीसी की योजनाओं में ऋण वितरण हेतु कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0,लखनऊ।
4. प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला सहायक निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बंधित शाखा प्रबंधक।
7. निजी सचिव (सभापति) उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ का मा0सभापति के अवलोकनार्थ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
11. प्रमुख सचिव सहकारिता, उत्तर प्रदेश।

प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक–1

:: एनबीसीएफडीसी योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु चेक लिस्ट/ दिशा–निर्देश ::

1. एनबीसीएफडीसी की ऋण योजना में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर अधिसूचित पिछड़े वर्ग के दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के कृषक ही लाभार्थी/पात्र होगें।
2. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय रू0 3,00,000/– तक होनी चाहिए।
3. उक्त योजना के अन्तर्गत **जाति प्रमाण पत्र** तथा **आय प्रमाण पत्र** राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्य होगा, जो तहसीलदार स्तर से कम न हो, केवल यही अधिकारी सक्षम अधिकारी माने जायेंगे।
4. पात्र लाभार्थी के आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
5. पात्र लाभार्थी से के0वाइ0सी0 नार्म्स पूर्ण करते हुए प्रपत्रों को वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित किया जाए।।
6. ऋण के सापेक्ष प्रतिभूति बैंक द्वारा जारी समय–समय पर परिपत्रों के अनुसार बंधक पत्र निष्पादन एवं गारण्टी डीड में किया जाय।
7. **ऋण की सीमा**– आय अर्जक क्रियाओं में अधिकतम रू0 5.00 लाख तक तथा शिक्षा ऋण में अधिकतम रू0 15.00 लाख (प्रति लाभार्थी)।
8. इन विशेष योजनाओं में वितरित ऋणों की यदि निर्धारित तिथि को किश्त/किश्तों की अदायगी ऋणी सदस्य द्वारा नही की जाती है अर्थात किश्त/किश्ते बकाया हो जाती है तो बकाया किश्त/किश्तों पर निर्धारित तिथि से अदा करने की तिथि तक ब्याज दर 9.60 प्रतिशत से ब्याज की वसूली की जायेगी जिसका शपथ पत्र अवश्य लिया जाय।
9. एलडीबी–4 के पृष्ठ–01 पर तथा उपर्युक्त क्रमांक 1 से 08 तक जारी निर्देश/चेक लिस्ट एवं योजनानुसार वांछित अभिलेख की औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद ही ऋण वितरण प्रकिया शुरू की जाय।
10. पत्रावली में निर्दिष्ट स्थानो पर पत्रावली में स्पष्ट नाम व पदनाम लिखते हुए हस्ताक्षर किया जाय।
11. ऋण वितरण ऐसे उददेश्यों में ही किया जाय, जिनमें वसूली मासिक/त्रैमासिक आधार पर सुनिश्चित हो सके।
12. **शिक्षा ऋणः–**

    (i) राष्ट्रीय/राज्य स्तर की आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से चयनित तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पूर्णकालिक व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों को करने के लिए एकमुश्त सहायतार्थ शिक्षा ऋण प्रदान करना जैसे–इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन एवं होटल प्रबंधन आदि। इस हेतु आवेदक के लिए यह आवश्यक है कि वह **मान्यता प्राप्त संस्थान की अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया हो।**

    (ii) शिक्षा ऋण के अन्तर्गत व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु शिक्षा ऋण में प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, किताबें, स्टेशनरी, लैपटॉप, परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं मैस शुल्क आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

(iii) शिक्षा ऋण पात्र लाभार्थियों एवं ऋण राशि को सुरक्षित करने (मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता) हेतु स्वीकृत ऋण धनराशि के समतुल्य बीमा कराया जाए तथा बीमा के प्रीमियम की धनराशि को यदि आवश्यक हो तो ऋण राशि में सम्मिलित कर लिया जाए।

(iv) व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम के कोर्स की अवधि को ग्रेस पीरियड माना जायेगा तथा ग्रेस पीरियड समाप्त होने के उपरान्त वसूली की मासिक किश्तों का निर्धारण ऋण अवधि के अनुसार किया जायेगा। लाभार्थी/सहभागीदार की सहमति प्राप्त करते हुए ग्रेस पीरियड में वितरित ऋण राशि पर मासिक रूप से ब्याज की वसूली की जाए।

13. शाखा प्रबंधक प्रत्येक किश्त की अदायगी (किश्तवार) विवरणपत्र ऋणी सदस्य को ऋण वितरण के समय उपलब्ध करायेगें।
14. शाखा प्रबंधक ऋण वितरण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे।

.....